मैहर पुलिस ने ऑपरेशन रिंगटोन के तहत 60 मोबाइल खोजे

साइबर सेल मैहर की टीम ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से दस लाख की अधिक कीमत के मोबाइल फोन बरामद किए

नवभारत न्यूज

सतना, 25 अगस्त. तकनीकी दक्षता और जन सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सायबर सेल मैहर ने सी ई आई आर पोर्टल के माध्यम से लगभग 10 लाख 35 हजार रूपये कीमत के 60 नागरिकों के मोबाइल खोज खोजकर नागरिकों को वापस लौटाए।

सी ई आई आर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को संज्ञान मे लेते हुए पुलिस अधीक्षक मैहर सुधीर अग्रवाल द्वारा जिला साइबर सेल मैहर को गुम मोबाइल की तलाश हेतु निर्देशित किया गया। जिला सायबर सेल मैहर की टीम द्वारा गुम मोबाइल संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ष्टश्वङ्कक्र पोर्टल के माध्यम से लगभग 10 लाख 35 हजार रूपये कीमत के 60 नागरिकों के मोबाइल को बरामद किया गया।

बरामद किये गये मोबाइल सेमसंग, वनप्लस, ओप्पो, वीवो, पोको, टेक्नो, रेडमी, रीयलमी, एमआई, इनफिनक्स, लावा आदि कंपनियों के है। उक्त सभी मोबाइलों को सतना, मैहर, रीवा, पन्ना, छतरपुर, चित्रकूट दिल्ली, भिण्ड, टीकमगढ़, गुजरात, आदि स्थानों से ट्रेस किया जाकर बरामद किये गये।

उक्त मोबाइलों को सोमवार को मैहर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व सायबर सेल की टीम द्वारा मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किया गया। आवेदकों को मोबाइल वापिस मिलने सभी मोबाइल मालिकों द्वारा मोबाइलों के वापस मिलने पर पुलिस अधिकारियों एवं सायबर सेल की टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पुलिस अधीक्षक मैहर ने सायबर सेल की टीम को उक्त सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कृत करने की घोषणा की।

मैहर पुलिस की अपील

इस अवसर पर मैहर पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि यदि किसी का मोबाइल गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने पर दर्ज कराएं और फिर CEIR पोर्टल (www.ceir.gov.in) पर जाकर मोबाइल को ब्लॉक कराए ताकि उक्त डिवाइस का दुरुपयोग न हो सके। इसी पोर्टल के माध्यम से ही आपका मोबाइल खोजा जायेगा।

अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया पार्षद

नवभारत न्यूज

रीवा, 25 अगस्त, उमरिया जिले के एक पार्षद को रीवा में एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें पार्षद के कब्जे से एक पिस्टल बरामद की गई है. आरोपी की पहचान राहुल द्विवेदी उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है, आरोपी राहुल मानपुर नगर परिषद वार्ड 11 से कांग्रेस पार्षद है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ पहले से ही तीन अन्य मामले दर्ज हैं. मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ ईको पार्क रीवा में घूम रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम पहुंची और राहुल द्विवेदी को पकड़ा. जिसकी तलाश लेने पर पिस्टल मिली, जिसे जप्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

प्रिंस की मौत के मामले में दो आरोपियों पर अपराध दर्ज

प्रिंस को उकसाने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत हुई कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 अगस्त। जियावन थाना क्षेत्र के ग्राम कटौली निवासी प्रिंस द्विवेदी पिता स्व. विशेश्वर द्विवेदी उम्र 20 वर्ष ने 8 अगस्त को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। मृतक के परिजनों का आरोप था कि प्रिंस को धमकाने, उसकाने एवं प्रताड़ना के चलते यह खौफनाक कदम उठाया था। परिजनों के रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपी सही पाये जाने पर आरोपी राजेश कुमार दुबे एवं अनीश कुमार दुबे के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

जियावन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रिंस द्विवेदी के सोसाईड के मामले में परिजनों के रिपोर्ट एवं वायरल ऑडियों के आधार पर कई लोगों से पूछतांछ की गई। साथ ही घटना स्थल का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान पीएम रिपोर्ट अन्य से पाया गया कि राजेश द्विवेदी, अनीश द्विवेदी व विष्णु द्विवेदी तीनों सगे भाई। मृतक प्रिंस के परिवार के हैं। वर्ष 2022 में विष्णु द्विवेदी राजेश द्विवेदी को मारा था। जिसमें राजेश का पैर टूट गया था। मृतक का पारिवारिक संबंध अच्छा होने के कारण राजेश व अनीश के द्वारा मृतक प्रिंस पर आरोप लगाया गया कि विष्णु द्विवेदी से राजेश द्विवेदी को मरवाया गया है। पुलिस ने आगे बताया कि राजेश द्विवेदी के द्वारा दवाई का खर्चा 3 लाख रूपये मृतक प्रिंस को देने का दबाव उक्त लोग डालने लगे।

पैसा न देने के कारण राजेश द्विवेदी व अनीश द्वारा मृतक प्रिंस व उसकी माँ से आये दिन रास्ता रोककर घर में लगे बिजली तार कनेक्सन को काट कर मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घटना के दो दिन पूर्व 6 अगस्त को राजेश ने मृतक के प्रिंस द्विवेदी के साथ बिजली के तार काट देने पर मारपीट की गई थी। जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई थी।

पुलिस ने आगे बताया कि उक्त दोनों आरोपियों ने प्रताड़ित कर पैसे की मांग कर रहे थे। जिसके चलते प्रिंस ने यह खौफनाक कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपी राजेश द्विवेदी एवं अनीश द्विवेदी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया में अपराध पाये जाने पर बीएनएस की धारा 115(2)351(2),3(5)के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुये न्यायालय में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई में टीआई डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह, एसआई यज्ञलाल वर्मा, एएसआई तेजबहादुर सिंह, नरेन्द्र सिंह, प्रआर गुलाब सिंह, आर अमित कुमार, बबलू यादव, दिनेश कुमार, सदन कुमार, खुम सिंह, बृजेन्द्र सिंह एवं सौरव जायसवाल का योगदान सराहनीय रहा।

चोरी गई बोलेरो व बाइकें बरामद, तीन गिरफ्तार

चार दिन में खुलासा बैढ़न के परसौना गांव निवासी के हैं आरोपी

नवभारत न्यूज

शक्तिनगर 25 अगस्त। थाना क्षेत्र से चार दिन पहले चोरी हुई बोलेरो को पुलिस ने बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पड़ोसी राज्य म.प्र. के सिंगरौली के निवासी हैं। इनके निशानदेही पर चोरी की बाइके भी बरामद की गई।

एनसीएल खड़िया बैरियर से 21 अगस्त को बोलेरो चोरी हुई थी। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई शुरू की। शक्तिनगर के प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बलियानाला एनसीएल खड़िया के आवासीय परिसर के पास से चोरी गई बोलेरो के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले से पंजीकृत अभियोग की धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई है। बोलेरो गाड़ी यूपी 64 क्यू 4241 खड़िया बैरियर से चोरी हुई थी। चोर जयंत के तरफ से चंदुली शराब भट्टी के रास्ते बलियानाला की तरफ आ रहे थे। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने सड़क अवरुद्ध कर गाड़ी में बैठे तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और बोलेरो वाहन को कब्जे में ले लिया गया। गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। पूछतांछ में सामने आया कि गाड़ी चला रहा व्यक्ति गीरोह का लीडर है। इसी के साथ मिलकर गाड़ियों को चुराकर बेच देते हैं।

बोलेरो चोरी करके म.प्र. ले गए थे। नंबर प्लेट तोड़कर हटा दिए व बेचने के लिए ले जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में रामानंद शर्मा उर्फ प्रिंस, करन शर्मा पुत्र राजेश शर्मा दोनों निवासी भैरहवा टोला थाना बैढ़न व सूरज साकेत उर्फसाइको पुत्र लालबहादुर साकेत निवासी परसौना थाना बैढ़न जिला सिंगरौली के रहने वाले हैं।

फरार अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, 41 वारंटी हवालात में

गुंडा, बदमाशों की क्लास, सख्त निगरानी में 96 बदमाश

नवभारत न्यूज

सीधी, 25 अगस्त. सीधी पुलिस की जिले में चली नाइट विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान में फरार अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसा और 41 वारंटी हवालात में पहुंचे। वहीं गुंडाङ्कबदमाशों की क्लास लगाते हुए चेतावनी दी गई।

96 बदमाश सख्त निगरानी में लिए गए। पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द श्रीवास्तव एवं जिले के समस्त अनुभागीय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन तथा थाना/चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में दिनांक 23-24 एवं 24-25 अगस्त 2025 की दरम्यानी रात विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए कुल 41 वारंट जिसमें 03 स्थायी वारंट एवं 38 गिरफ्तारी वारंट को तामील कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

थाना-वार कार्रवाई का विवरण

थाना कोतवाली में 01 स्थायी वारंट, 05 गिरफ्तारी वारंट, थाना जमोड़ी में 04 गिरफ्तारी वारंट, थाना रामपुर नैकिन में 01 स्थायी वारंट, 06 गिरफ्तारी वारंट, थाना चुरहट में 06 गिरफ्तारी वारंट, थाना कमर्जी में 02 गिरफ्तारी वारंट, थाना अमिलिया में 01 स्थायी वारंट, 04 गिरफ्तारी वारंट, थाना बहरी में 04 गिरफ्तारी वारंट,थाना मझौली में 01 गिरफ्तारी वारंट, थाना कुसमी में 03 गिरफ्तारी वारंट,थाना म ?वास में 02 गिरफ्तारी वारंट, थाना सेमरिया में 01 गिरफ्तारी वारंट तामील किये गये। साथ ही, जिले में सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस ने 51 गुंडा-बदमाशों एवं 45 निगरानी बदमाशों की चेकिंग की। उनकी दिनचर्या एवं गतिविधियों की जानकारी लेकर उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार के अपराध से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।

सोशल मीडिया में धर्म गुरु के विरुद्ध पोस्ट करना प्रौढ़ व्यक्ति को पड़ा भारी

जियावन पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 अगस्त। जियावन थाना क्षेत्र के उमरहर निवासी एक प्रौढ़ व्यक्ति सुन्नी मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरू के विरूद्ध अश्लील शब्दो का अपने मोबाईल से फोसबुक सोशल मीडिया में वायरल करने पर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

जियावन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम उमरहर निवासी आरोपी पप्पू अंसारी उर्फ कुतुबुद्दीन पिता सत्तार मोहम्मद उम्र 48 वर्ष ने सुन्नी समुदाय मुस्लिम के धर्म गुरू के विरूद्ध अश्लील शब्दो का उपयोग करते हुये सोशल मीडिया में वायर कर दिया। जिसकी रिपोर्ट मिलने पर आरोपी के विरूद्ध बीएनएस की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुये फरार आरोपी के तलाश शुरू कर दी गई है। साईबर सेल, कोतवाली बैढ़न एवं विंध्यनगर पुलिस के मदद से आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में एसडीओपी डॉ. गायत्री तिवारी, जियावन टीआई डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह, एसआई रामजी त्रिपाठी, आईपी वर्मा, एएसआई तेजबहादुर सिंह, नरेन्द्र सिंह, प्रआर गुलाब सिंह, उमेश रावत, आर अमित कुमार, बबलू यादव, सदन कुमार, दिनेश कुमार, खुम सिंह, बृजेन्द्र सिंह एवं साइबर टीम विंध्यनगर तथा कोतवाली पुलिस टीम का योगदान सराहनीय रहा ।

मैहर के नादन में नदी में तैरता मिला युवक का शव

नवभारत न्यूज

सतना 25 अगस्त. मैहर जिले के नादन थाना क्षेत्र अंतर्गत खरवाही की नदी में एक युवक का शव तैरता पाया गया. परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है. पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह नदी की ओर निकले ग्रामीण पानी में शव तैरता देख घबरा गए. आनन-फानन में घटना की सूचना अन्य ग्रामीणों सहित पुलिस को दी गई. चूंकि नदी के उस क्षेत्र की सीमा सतना जिले के उचेहरा और रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र सहित मैहर जिले के नादन थाना क्षेत्र की सीमा से जुड़ी हुई थी. इसलिए मामला काफी देर तक थाना क्षेत्र के विवाद मे उलझा नजर आया. बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर नादन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. नदी से बाहर निकलवाए जाने पर मृतक की पहचान अमरपाटन रोड ग्राम चोरहटा थाना रामपुर बघेलान निवासी अनिल पाठक उर्फ भोला उम्र 32 वर्ष के तौर पर हुई. पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

हत्या की आशंका

परिजनों ने पुलिस को बताया कि अनिल रविवार की दोपहर खेत की ओर गया था. लेकिन तब से वह वापस नहीं लौटा. परिजनों द्वारा अनिल की हत्या की आशंका जताते हुए विस्तृत जांच की मांग की जाने लगी. पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया कि पीएम रिपोर्ट आने पर मृत्यु कारण सामने आ जाएगा. जिसके बाद जांच आगे बढ़ेगी. वहीं कुछ रहवासियों द्वारा इस बात की भी आशंका जताई गई कि खेत से लौटने के दौरान स्टॉप डैम से होकर गुजरते समय संभवत: अनिल का पैर फिसल गया होगा. जिसके चलते वह नदी में गिर गया होगा और बहते हुए नादन गांव तक पहुंच गया होगा. पुलिस द्वारा सभी पहलुओं को देखते हुए जांच की जा रही है.

आरओ प्लांट का होगा संचालन

नवभारत न्यूज

रीवा, 25 अगस्त, पुलिस लाइन रीवा में कल्याणकारी गतिविधि के तहत आर.ओ. प्लांट का संचालन किया जायेगा. सेवानिवृत्त, कार्यरत पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी के योग्य व बेरोजगार पुत्र या पुत्री आर.ओ. संचालन के लिये आवेदन कर सकते हैं.

रिसोर्स पर्सन चयन के लिए आवेदन आज तक

सतना 25 अगस्त. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर लाभार्थियों को हेण्ड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए 26 अगस्त 2025 तक दो रिसोर्स पर्सन का फेसिलेटर के रूप में चयन किया जाना है।

मानसिक विक्षिप्त किशोरी के साथ दुष्कर्म

नवभारत न्यूज

रीवा, 25 अगस्त, मनगवां थाना अन्तर्गत एक विक्षिप्त किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दो आरोपी पिछले दो माह से दुष्कर्म कर रहे थे. जब पीड़िता गर्भवती हुई तब इसकी जानकारी परिजनो को हुई और मनगवां थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है. जिसमें पुलिस ने दो संदेहियो को हिरासत में लिया है.

मनगवॉ बस्ती में एक मानसिक विक्षिप्त किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आयी है. जानकारी के अनुसार दो महीने से अधिक समय से दो युवक मिलकर दुष्कर्म कर रहे थे. घटना का खुलासा तब हुआ जब किशोरी दो महीने की गर्भवती हो गई. जिसके बाद इसकी जानकारी घर वालों को लगी. घटना कि रिपोर्ट पीड़ित के पिता ने मनगवां थाने में की. पुलिस ने इस मामले में मनगवां पुलिस ने दो संदेहियो को हिरासत में लिया है, जिनसे पूंछताछ की जा रही है.

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान
(विश्वविद्यालय समतुल्य)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन, भारत सरकार
गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई–400088, संपर्क विवरण: टेलीफोन: 91–22–42372428
ईमेल: distanceeducation@iipsindia.ac.in; वेबसाइट: www.iipsindia.ac.in

दूरस्थ कार्यक्रम के लिए प्रवेश घोषणा – शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 हेतु

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान(आईआईपीएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत 1956 में स्थापित स्वायत्त संगठन, शैक्षणिक वर्ष जुलाईदृअगस्त 2025–2026 के लिए जनसंख्या अध्ययन कार्यक्रम (दूरस्थ माध्यम) में एम.ए. प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।
ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025
अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.iipsindia.ac.in पर जाएँ
निदेशक एवं वरिष्ठ प्रोफेसर (अतिरिक्त प्रभार)

जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईआरपी के अंतर्गत) द्वारा 26/07/2025 को प्रकाशित फॉर्म जी में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है

यह 26/07/2025 को बिजनेस स्टैंडर्ड, अमर उजाला, कन्नड़ प्रभा और नवभारत समाचार पत्रों में प्रकाशित फॉर्म जी के संदर्भ में है, जिसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति ('ईओआई') जमा करने की अंतिम तिथि 25/08/2025 थी. इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि ऋणदाता समिति (सीओसी) की दिनांक 19/07/2025 की चौथी बैठक में सीओसी के सदस्यों द्वारा दी गई स्वीकृति के मद्देनजर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि 08/09/2025 तक बढ़ा दी गई है. विस्तार के बाद संबंधित/संशोधित तिथियां/विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	विवरण/घटना	नियत तारीख
1.	कॉर्पोरेट देनदार का पैन	AAACZ2168D
2.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	8/9/2025
3.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	18/9/2025
4.	अनंतिम सूची पर आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	23/9/2025
5.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	3/10/2025
6.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	8/10/2025
7.	समाधान योजनाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	7/11/2025
8.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया ईमेल आईडी	jaypeecement.cirp@gmail.com

यह सूचना समाधान पेशेवर द्वारा जारी की गई है, ताकि पीआरएएस को दिनांक 26/07/2025 के फॉर्म जी के अनुसार ईओआई जमा करने की तिथि में विस्तार के बारे में सूचित किया जा सके.
दिनांक: 26-08-2025
स्थान: दिल्ली
एसडी/-
सीएमए दीपिका भुग्रा प्रसाद
के समाधान पेशेवर
जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/1186
ईमेल: Jaypeecement.cirp@gmail.com

सिंगरौली पहुंचा गुजरात प्रांत का 39 हजार लीटर डीजल जब्त

अवैध हो रहा था डीजल का परिवहन, मोरवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 25 अगस्त। गुजरात प्रांत से एमपी के रास्ते से अवैध डीजल लेकर आ रहे एक टैंकर को मोरवा पुलिस ने भूसामोड़ के पास घेराबंदी करते हुये दबोच कर 39 हजार लीटर डीजल एवं टैंकर को जप्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

जप्त डीजल की कीमत करीब साढ़े 35 लाख रूपये बताई जा रही है। वहीं टैंकर की कीमत 50 लाख रूपये आंका जा रहा है। च्नवभारतज्ञ ने बीते दिन 24 अगस्त को गुजरात प्रांत से सिंगरौली में डीजल का खेला को प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित किया था। यह कार्रवाई थाना प्रभारी मोरवा उमेश प्रताप सिंह की टीम ने की है।

जानकारी अनुसार मोरवा निरीक्षक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की एक सफेद रंग के टैंकर क्रमांक जीजे 39 टी 0274 जिसमें अवैध डीजल लोड कर बरगवां तरफ से आ रहा है। उन्होंने टीम बनाकर टीम भूसामोड पहुचंकर घेराबंदी की। थोडी देर में सफेद रंग का टैंकर आया जिसे रोककर चालक कृष्ण पाल सिंह पिता गजराम सिंह उम्र 44 वर्ष निवासी हिमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जिला बिजनौर उ.प्र. से डीजल के संबंध में कागजात मांगने पर वह कोई कागजात नहीं दे सका। जिसपर मोरवा पुलिस ने अवैध डीजल मय टैंकर को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 3/7 ईसी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। यहां बताते चले कि बीते दिन कल 24 अगस्त को च्नवभारतज्ञ ने च्इंडस्ट्रियल ऑयल के आड़ में करोड़ों रूपये का खेलाज्ञ नामक शीर्षक प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। जहां पुलिस महकम ने उक्त खबर को गंभीरता से लिया और मोरवा टीआई ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया और आज 39 हजार लीटर बाजार में कीमत करीब 35 लाख 50 हजार रूपये का डीजल जप्त कर बड़ी कार्रवाई कर सनसनी फैलाते हुये डीजल के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। डीजल इंडस्ट्रियल ऑयल है या सामान्य जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन गुजरात प्रांत से ऊर्जाधानी में सामान्य डीजल की मांग नही है। ओबी एनसीएल के ओबी कंपनियों में इंडस्ट्रियल ऑयल के आड़ में व्यापक पैमाने पर करोड़ो रूपये का खेला किया जा रहा है और इस खेल में एनसीएल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उक्त कार्यवाही में उनि एनपी तिवारी, सउनि संतोष सिंह, संजीत सिंह, पिन्टू राय, प्रआर अजीत सिंह, आर ऋषि सिंह, अजय यादव, विकेश सिंह की महत्तवपूर्ण भूमिका रही।

इनका कहना है

मुखबिरों के जरिये सूचना मिली कि गुजरात प्रांत से डीजल लेकर औड़ी मोड़ तरफ जार रहा है। मोरवा पुलिस भूसामोड़ पहुंच घेराबंदी करते हुये टैंकर को अपने कब्जे में लेते हुये चालक से दस्तावेज मांगा गया, लेकिन चालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। डीजल समेत टैंकर को जप्त कर ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

गौरव पाण्डेय,
एसडीओपी (आईपीएस), मोरवा

स्वामी विवेकानंद कॉलेज, पन्ना
डी फार्मा – योग्यता – 12वी (गणित/विज्ञान)
कॉलेज लेवल पंजीयन प्रारंभ
संपर्क करें:- मोबाइल- 7999404729, 8103282168

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा मौजा कोलगवां, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी * फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99